


A (1) 16350
L. L. R.
P. 16354


Online Fee Paid

IBRATU N.

प्रतिक्रीत भूमि से बॉट
क्रमांक 280 AG



दस्तावेज लिपिक
लाठ नं - 111/03
मेदिनीनगर (पलामू)



दस्तावेज लिपिक
लाठ नं - 111/03
मेदिनीनगर (पलामू)

दस्तावेज जाँचा
दस्तावेज

31 JUL 2023

SALE DEED

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता :- (बिक्रेता)

- (1) श्री अवध बिहारी महतो पिता का नाम स्व0 बली महतो
 - (2) श्री मदन मेहता पिता का नाम स्व0 बली महतो
- दोनों पिछड़ी जाति वर्ग II, (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं) निवास स्थान निमीयां, पो0 सुदना, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू पेशा गृहस्थी, नागरिकता भारतीय।

PAN क्रमशः- BBMPM3304D & BLIPM5997A

आधार नं0 क्रमशः XXXX XXXX 6734, XXXX XXXX 6811

शपथ पत्र सं0 क्रमशः 2809472810 दिनांक- 31.07.2023

2. लेख्यधारी नाम एवं पूरा पता :- (क्रेता)

श्रीमती सीमा देवी पति का नाम श्री प्रकाश कुमार गुप्ता, पिछड़ी जाति वर्ग II (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं), निवास स्थान ग्राम एवं पो0 कजरु खुर्द, थाना पाण्डू, जिला पलामू, झारखण्ड, पेशा गृहिणी, नागरिकता भारतीय।

PAN- IJLPD5901H आधार नं0 XXXX XXXX 4364

शपथ पत्र सं0- 2811 दिनांक- 31.07.2023

राजस्थान राज्य निधि विभाग
में दस्तावेज लिपिक
लाठ नं - 111/03
मेदिनीनगर (पलामू)
प्रतिक्रीत भूमि से बॉट
क्रमांक 280 AG
दस्तावेज जाँचा
दस्तावेज
31 JUL 2023
राजस्थान राज्य निधि विभाग
में दस्तावेज लिपिक
लाठ नं - 111/03
मेदिनीनगर (पलामू)
प्रतिक्रीत भूमि से बॉट
क्रमांक 280 AG
दस्तावेज जाँचा
दस्तावेज
31 JUL 2023

पिता - नन्दलाल
माता - ललिता
पुत्र - अमित
पुत्री - अनुष्ठा
पति - नन्दलाल
माता - ललिता
पुत्र - अमित
पुत्री - अनुष्ठा

31.7.23

3. लेख्यप्रकार :- बिक्री पत्र (SALE DEED)
4. (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य:- मुबलीग 5,42,500/- (पांच लाख बेयालीस हजार पांच सौ) रुपये मात्र।
- (ख) देय मूल्य :- मुबलीग 5,45,000/- (पांच लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र।
5. सम्पत्ति :- मवाजी 2.50 (दो दशमलव पांच शून्य) डी० अवासीय जमीन गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण हेतु अन्दर ग्राम निमिया, मेदिनीनगर नगर निगम वार्ड नं० 03A, अंचल एवं नगर निगम मेदिनीनगर, जिला पलामू। इलाके वो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर, जिला पलामू। हकियत लेख्यकारी को उत्तराधिकार में हक हासिल हैं। दस्तावेज के साथ बिक्री भू-खण्ड का नक्शा संलग्न है, जो दस्तावेज का अभिन्न अंग एवं अंश है।

भूमि का विवरण:-

थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	हल्का नं०	वार्ड नं०	मौजा
192	51	1	01	3A	निमिया

नगर निगम होल्डिंग नं०— 03A0001435000M0

खाता नं०	प्लौट नं०	रकबा	चौहड़ी
24 (चौबीस)	280 (दो सौ अस्सी)	2.50 (दो दशमलव पांच शून्य) डी०	उ०— वर्तमान क्रेता निलम कुमारी द०— पूर्व से दस फीट चौड़ा रास्ता प०— रीता पाल प०— निज बिक्रेता

वार्षिक राजस्व— अनुमानित 3 रु० अलावे सेस।

लगान पाने वाला— झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर, जिला पलामू।

प्रमाण २५५७

31.7.23

प्रमाण २५५८
प्रमाण २५५९
प्रमाण २५६०
प्रमाण २५६१
प्रमाण २५६२
प्रमाण २५६३
प्रमाण २५६४
प्रमाण २५६५
प्रमाण २५६६
प्रमाण २५६७
प्रमाण २५६८
प्रमाण २५६९
प्रमाण २५७०
प्रमाण २५७१
प्रमाण २५७२
प्रमाण २५७३
प्रमाण २५७४
प्रमाण २५७५
प्रमाण २५७६
प्रमाण २५७७
प्रमाण २५७८
प्रमाण २५७९
प्रमाण २५८०
प्रमाण २५८१
प्रमाण २५८२
प्रमाण २५८३
प्रमाण २५८४
प्रमाण २५८५
प्रमाण २५८६
प्रमाण २५८७
प्रमाण २५८८
प्रमाण २५८९
प्रमाण २५९०
प्रमाण २५९१
प्रमाण २५९२
प्रमाण २५९३
प्रमाण २५९४
प्रमाण २५९५
प्रमाण २५९६
प्रमाण २५९७
प्रमाण २५९८
प्रमाण २५९९
प्रमाण २६००

विदित हो कि उपर वर्णित सम्पति लेख्यकारी के पिताजी ने खरीद कर प्राप्त किये थे। जिसका केवाला नं० 8649 वास्ते वर्ष 1972 ई० है। नामांतरण वाद सं० 381/1985-86 के माध्यम से नामांतरण होकर डिमाण्ड बली महतो के नाम से चलने लगा। बली महतो के मरनोपरान्त उनके द्वारा छोड़ी गई चल एवं अचल सम्पति का उत्तराधिकारी लेख्यकारीगण हुए। इस नाते उत्तराधिकार नामांतरण वाद सं० 1637 वर्ष 2010-11 के माध्यम से नामांतरण होकर डिमाण्ड लेख्यकारीगण के नाम से होल्डींग नं० 1558 पर चलने लगा एवं रसीद कटने लगी तथा कम्प्युटरीकृत भाग वर्तमान 12 पृष्ठ सं० 59 पर लेख्यकारीगण का नाम दर्ज है। उक्त भू-खेण्ड पर लेख्यकारीगण का निर्विवाद रूप से दखल-कब्जा कायम है तथा हर तरह से साफ-सुधरा है, किसी तरह का वाद-विवाद नहीं है। अगर किसी तरह का नुकश पाया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी एवं क्षतिपूर्ति के साथ देनदार लेख्यकारीगण अथवा इनके उत्तराधिकारी होंगे।

यह कि लेख्यकारीगण को रूपये की सख्त जरूरत अपना-अपना विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते है, जिसका प्रबन्ध अपने-अपने पास से या अन्यत्र से कर पाना सम्भव प्रतीत नहीं हुआ है। तब इस संबंध में बिक्रेतागण परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ अच्छी तरह से विचार-विमर्श किये और सर्व सम्मति से यह निश्चय किये कि अपने उपरोक्त सम्पति को बिक्री कर दिया जाए और अपने-अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अतः उपरोक्त सम्पति का बिक्री का प्रचार कराये। परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीदार आए और सबों ने इसका अलग-अलग मूल्यांकन भी किये, परन्तु अन्त में लेख्यधारी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भलि-भांति निरीक्षण किए तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए आज के बाजार भाव के अनुसार उचित तथा अधिकतम मूल्य मुबलीग 5,45,000/- (पाँच लाख पैंतालीस हजार) रूपये मात्र में उक्त सम्पति का सौदा लेख्यधारी (क्रेता) के साथ पक्का कर दिये।

मार्ग
31.7.23

मार्ग
31.7.23

यह कि देय मूल्य की राशि मुबलीग 5,45,000/- (पांच लाख पैंतालीस हजार) रूपये लेख्यकारी नं० १ ने भारतीय स्टेट बैंक का खाता सं०- 34562116616 में बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्राप्त किये हैं। तथा लेख्यकारी नं० २ ने भारतीय स्टेट बैंक का खाता सं०- 30469173024 में बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्राप्त किये हैं।

यह कि देय मूल्य की रकम में से अब लेख्यकारीगण को क्रेता से कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है, इसलिए यह केवाला आज से ही पूरी तरह से असर में आ गया और उपर वर्णित सम्पत्ति पर से अपना-अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल-कब्जा लेख्यधारी को दे दिये। इस प्रकार से सम्पत्ति के सम्बन्ध में बिक्रेतागण का आज तक जो भी हक, अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त थे, अथवा भविष्य में इनके उत्तराधिकारीयों को प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को प्राप्त हुए। अब लेख्यधारी (क्रेता) को अधिकार प्राप्त हुआ कि इस भूखण्ड पर अपनी इच्छानुसार अपने एवं अपने परिवार के उपयोग तथा उपभोग करके लाभ उठावें, उक्त भू-खण्ड पर मकान बनवा कर निवास करें, अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। अब उक्त भू-खण्ड को यथावत क्रेता को सौंप कर जमीन का पूर्ण स्वामी (मालिक) बना दिये तथा दखल-कब्जा दे दिये। क्रेता को आज की तिथि से सम्पूर्ण हकियत हक अधिकार विद्यमान हो गई लेख्यकारीगण इनके दखल-कब्जे को पूर्ण रूप से सम्पुष्ट करते हैं। इससे अब लेख्यकारीगण या इनके परिवार के किसी भी अन्य उत्तराधिकारियों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहा और ना ही भविष्य में कभी भी रहेगा। किसी तरह के विवाद में क्षति-पूर्ति की पुरी जिम्मेवारी बिक्रेतागण की होगी।

अब लेख्यधारी को चाहिए कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में अंचल कार्यालय द्वारा अपने नाम का

मार्ग
31.7.23

-5-

अब उक्त भू-सम्पति से लेख्यकारी दर गुजरे व बाज आये इसलिए लेख्यकारीगण अपने—अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी—अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस बिक्रिय पत्र (Sale Deed) को क्रेता के पक्ष में तैयार करवा कर स्वयं से पढ़ कर और पढ़वा कर सुन—समझ लिये, तथा सही पाकर कर अपना—अपना हस्ताक्षर से इस दस्तावेज को निष्पादित कर दिये और निबंधन पदाधिकारी के समक्ष स्वयं से उपस्थित होकर एकरार किये तथा निबंधन की प्रक्रिया पुरा कराये, जो भू—सम्पति हस्तांतरण का स्थायी प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

आज दिनांक— ३१.७.२०२७ स्थान—मेदिनीनगर जिला पलामू।

~~टंकीक~~



Leema Devi

३१.७.२०२७



मैं शिल्पा शेष्ठा (किसत मेहता) दस्तावेज नवीस लां० नं० १११/०३ स्थान मेदिनीनगर प्रमाणित करता हूँ कि इस दस्तावेज में जिन—जिन व्यक्तियों का छायाचित्र लगा है उनके बाये हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

प्रारूपकर्ता:— शिल्पा शेष्ठा (किसत मेहता) दस्तावेज नवीस लां० नं० १११/०३ स्थान मेदिनीनगर, दस्तावेज पढ़कर दोनों पक्षों को सुना व समझा दिया, बोले कि ठीक

31/7/2027
Leema Devi

मेहता
31.7.23